न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला- जयपुर
पीठासीन अधिकारी : बलवीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : वाद
मुकदमा नम्बर 36 / 2025

1. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी गुढासहायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। –अप्रार्थी

वाद– अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री नानूराम भामाई अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :- 10/6/2025

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा तहसील मौजमाबाद मे स्थित खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101 रकबा 0.5700 है0, आराजी ख0न0 116 रकबा 0.4400 है0, आराजी ख0न0 230 रकबा 0.2800 है0, आराजी ख0न0 30 रकबा 0.6400 है0, आराजी ख0न0 472 रकबा 0.0100 है0,आराजी ख0न0 78 रकबा 0.7700 है0, आराजी ख0न0 82 रकबा 0.4200 है0, आराजी ख0न0 87 रकबा 0.0800 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 3.2100 है0 जिसका प्रार्थी एकमात्र काश्तकार होकर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी का नाम लछमण पुत्र रामचन्द है, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द है तथा इसी अनुसार प्रार्थी को जाना व पहचाना जाता है तथा लछमण पुत्र रामचन्द के स्थान पर लक्ष्मण मे लछमण पुत्र रामचन्द के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र रामचन्द दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो यथा आधारकार्ड, परिचय–पत्र, राशनकार्ड, बैंकपासबुक, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य जमाबंदियों में प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द दर्ज है, जिससे भी साबित है कि उक्त इन्द्राज जो लछमण दर्ज हुआ है, वह मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानो की गलती से हुआ है, जो काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार उक्त त्रुटि मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानो की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्ती प्रार्थी ने दिनांक 07.04.2025 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस प्रार्थी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदारजी ने उक्त त्रुटि दुरूस्त करने हेतु मना कर दिया व माननीय न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यकता हुई। अतः श्रीमान प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात मे प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द दर्ज करने का आदेश

प्रार्थी का प्रा0प0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी सं 1 पैरोकार राज उपस्थित।

प्रार्थी के प्रा0प0 के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 की ओर से पेश रिपोर्टनुसार ,राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101, 116, 230, 30, 472, 78, 82, 87 कुल किता 08 कुल रकबा 3.21 है0 भूमि (प्रार्थी) लक्ष्मण पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी गुढासहायपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी के नाम नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 25.10. 1966 से विरासत मे प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र रामचन्द दर्ज हुआ था जो वर्तमान में लछमण पुत्र रामचन्द जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी ग्राम गुढासहायपुरा के अन्य

उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला- जयपुर
पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : वाद
मुकदमा नम्बर 38 / 2025

1. लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गुढासहायपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0। —अप्रार्थी

वादः— अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित : 1. श्री मानूराम धाभाई अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :— 10/6/2025

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा तहसील मौजमाबाद में स्थित खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101 रकबा 0.5700 है0, आराजी ख0न0 116 रकबा 0.4400 है0, आराजी ख0न0 230 रकबा 0.2800 है0, आराजी ख0न0 30 रकबा 0.6400 है0, आराजी ख0न0 472 रकबा 0.0100 है0,आराजी ख0न0 78 रकबा 0.7700 है0, आराजी ख0न0 82 रकबा 0.4200 है0, आराजी ख0न0 87 रकबा 0.0800 है0 कुल किता 08 कुल रकबा 3.2100 है0 जिसका प्रार्थी एकमात्र काश्तकार होकर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को जरिये विरासत प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी का नाम लछमण पुत्र रामचन्द है, जो कि गलत है, जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द है तथा इसी अनुसार प्रार्थी को जाना व पहचाना जाता है तथा लछमण पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर लक्ष्मण में लछमण पुत्र रामचन्द के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, परिचय—पत्र, राशनकार्ड, बैंकपासबुक, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड व अन्य जमाबंदियों में प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द दर्ज है, जिससे भी साबित है कि उक्त इन्द्राज जो लछमण दर्ज हुआ है, वह मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से हुआ है, जो काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार उक्त त्रुटि मात्र सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से हुई है, जो काबिले दुरूस्ती प्रार्थी ने दिनांक 07.04.2025 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस प्रार्थी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदारजी ने उक्त त्रुटि दुरूस्त करने हेतु मना कर दिया व माननीय न्यायालय में वाद दायर करना आवश्यकता हुई। अतः श्रीमान प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का सही नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज करने का आदेश

प्रार्थी का प्रा0पत्र0 दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षी सं 1 पेरोकार राज उपस्थित।

प्रार्थी के प्रा0पत्र0 के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या 1 की ओर से पेश रिपोर्टनुसार राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101, 116, 230, 30, 472, 78, 82, 87 कुल किता 08 कुल रकबा 3.21 है0 भूमि (प्रार्थी) लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी गुढासहायपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी के नाम नामान्तकरण संख्या 59 दिनांक 25.10.1966 से विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम लिछमण पुत्र रामचन्द्र दर्ज हुआ था जो वर्तमान में लछमण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा इसी ग्राम गुढासहायपुरा के अन्य

उप खण्ड अधिकारी
मौजमाबाद (जयपुर)

ाता संख्या 156, 67, में प्रार्थी का ही नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ प्रार्थी का नाम वादग्रस्त आराजीयात में लछमण पुत्र रामचन्द्र के बजाय लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101, 116, 230, 30, 472, 78 82, 87 कुल किता 08 कुल रकबा 3.2100 है0 में प्रार्थी का नाम लछमण पुत्र रामचन्द्र हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध अन्य दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खात संख्या 67 के आराजी ख0न0 222 रकबा 0.0400 है0 व खाता संख्या 156 के आराजी ख0न0 12, 28, 92, 93, 96, 97 कुल किता 06 कुल रकबा 0.7500 है0 में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकार्ड व प्रार्थी का सरकारी दस्तावेज यथा अधार–कार्ड, राशन–कार्ड,मतदाता पहचान–पत्र,पेन कार्ड की छाया प्रति में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट मौजमाबाद की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर साबित है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रा0पत्र0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र0 दुरूस्ती इन्द्राज राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम गुढासहायपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 177 के आराजी ख0न0 101, 116, 230, 30, 472, 78, 82, 87 कुल किता 08 कुल रकबा 3.2100 है0 में प्रार्थी का नाम लछमण पुत्र रामचन्द्र के स्थान लक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद
जिला जयपुर
मौजमाबाद (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद (जयपुर)

उक्त आदेश आज दिनांक 10/6/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद
जिला जयपुर
मौजमाबाद (जयपुर)